संख्या- 199 / 2022 /1896 / चार-2022

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 15 नवम्बर, 2022

विषय:- पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि आवंटित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषयक आपके पत्र संख्या-766/प्रथम-01 (33)/22, दिनांक 01 सितम्बर, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 2205-कला एवं संस्कृति- आयोजनेत्तर-103- पुरातत्व विज्ञान-03-पुरातत्व निदेशालय- 15-मोटरगाड़ी का अनुरक्षण/तत्संबंधी पेट्रोल आदि की खरीद मद में रू0 2.00 लाख (रू0 दो लाख मात्र) की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से निर्गत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- पुरातत्व निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- बचत की धनराशि पुरातत्व निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

4- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

5- जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

6- पुरातत्व निदेशालय द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित /स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा/ धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी ।

8- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

9- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक अनुदान संख्या- 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-103- पुरातत्व विज्ञान-03-पुरातत्व निदेशालय- 09- विद्युत देय मद में उपलब्ध बचतों को संक्रमित कर लेखाशीर्षक- 2205-कला एवं संस्कृति- आयोजनेत्तर-103- पुरातत्व विज्ञान-03-पुरातत्व निदेशालय- 15-मोटरगाड़ी का अनुरक्षण/तत्संबंधी पेट्रोल आदि की खरीद मद के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 , दिनांक 07 जून, 2022 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 199 /2022 / 1896 (1)/चार-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- आहरण एवं वित्त अधिकारी, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4 , उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A004-20222023-Minus 1896-Char-2022 Archaeology Electricity

विषय:- पुनर्विनियोग के माध्यथम से धनराशि आवंटित कराये जाने के सम्ब न्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	2205001030300 (पुरातत्व निदेशालय)	09 (विद्युत देय)	15,00,000 रुपये पंद्रह लाख मात्र	0	-2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	13,00,000	2022-2023

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	2205001030300 (पुरातत्व निदेशालय)	15 (गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद)	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	3,00,000	2022-2023

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

उपर्यक्त विषयक आपके पत्र संख्या-766/प्रथम-01 (33)/22, दिनांक 01 सितम्बर, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में लेखाशीर्षक- 2205-कला एवं संस्कृति- आयोजनेत्तर-103- पुरातत्व विज्ञान-03-पुरातत्व निदेशालय- 15-मोटरगाड़ी का अनुरक्षण/तत्संबंधी पेट्रोल आदि की खरीद मद में रू0 2.00 लाख (रू0 दो लाख मात्र) की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रदान की जाती है।

2- पुरातत्व निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3- बचत की धनराशि पुरातत्व निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
4- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
5- जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।
6- पुरातत्व निदेशालय द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित /स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा/ धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी ।

8- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

9- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक अनुदान संख्या- 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-103- पुरातत्व विज्ञान-03-पुरातत्व निदेशालय- 09- विद्युत देय मद में उपलब्ध बचतों को संक्रमित कर लेखाशीर्षक- 2205-कला एवं संस्कृति- आयोजनेत्तर-103- पुरातत्व विज्ञान-03-पुरातत्व निदेशालय- 15-मोटरगाड़ी का अनुरक्षण/तत्संबंधी पेट्रोल आदि की खरीद मद के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 , दिनांक 07 जून, 2022 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संख्या:RE-budget-1-119-E-7-152-X-2022-23-दिनांक:11-11-2022

सेवा में,
निदेशक,
उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय,
लखनऊ।

रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संजय शुक्ला
उप सचिव

संख्या- 199 /2022 / 1896 (1)/चार-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय, लखनऊ ।
2- आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय, लखनऊ ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में) उ0 प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।